**भारत सरकार**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2662**

**उत्तर देने की तारीख: 05.08.2025**

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार**

**2662. श्री ससिकांत सेंथिल:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि दरों की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर उक्त अपराधों की उच्च घटनाओं वाले राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए कोई लक्षित उपाय किए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसमें क्षमता निर्माण, विशेष न्यायालय या निगरानी यंत्र की शुरुआत शामिल है; और

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे मामलों में समय पर जाँच, अभियोजन और पीड़ितों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निर्देश या परामर्शी दिशानिर्देश जारी किए हैं, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**

**(श्री रामदास आठवले)**

**(क) और (ख):** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में अपराधों पर सांख्यिकीय आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2022 तक उपलब्ध हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2022 तक के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध/अत्याचार के अंतर्गत देश भर में दर्ज मामलों की संख्या और दोषसिद्धि दर का विवरण **संलग्नक-I** और **संलग्नक-II** में दिया गया है।

**(ग) से (ङ):** दो केंद्रीय अधिनियम अधिनियमित किए गए हैं नामत:, सिविल अधिकार संरक्षण {पीसीआर} अधिनियम, 1955, जो 'अस्पृश्यता' के प्रथा से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता के प्रवर्तन के लिए दंड विहित करता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम, 1989, जो अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए है।

इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक केन्द्र प्रायोजित योजना चला रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को मुख्यतया निम्नलिखित के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस थानों के कार्यकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए।
ii. अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना एवं कार्यकरण के लिए।
iii. अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास के लिए।
iv. ऐसे अंतरजातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन, जिनमें पति/पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य हो।
v. जागरूकता सृजन के लिए।

इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से तथा कानून के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अत्याचारों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) शुरू की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर 14566 है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) पुलिस कर्मियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और वेबिनार आयोजित करता है जिससे कि उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संवेदनशील बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पीओए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को अक्षरशः लागू करने के लिए समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए उनके शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं।

राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, स्पीडी ट्रॉयल के उद्देश्य से 211 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

केंद्र सरकार के स्तर पर, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति, जिसके सह-अध्यक्ष केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं, और जिसमें गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य और तीन गैर-सरकारी सदस्य (दो अनुसूचित जाति से और एक अनुसूचित जनजाति से) शामिल हैं, राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में पीसीआर और पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा करती है। समिति की अब तक अट्ठाईस बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, अंतिम बैठक 23.05.2025 को आयोजित हुई थी।

उपर्युक्त केन्द्र स्तरीय समिति के अतिरिक्त, अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुवीक्षण समिति, जिला एवं सब-डिवीजनल स्तर पर पर सतर्कता एवं अनुवीक्षण समितियां भी गठित की गई हैं।

**संलग्नक-1**

| वर्ष 2020 से 2022 तक अनुसूचित जातियों के लिए एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार दर्ज मामले और दोषसिद्धि दर (सीवीआर) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष 2020 | | वर्ष 2021 | | वर्ष 2022 | |
| | | दर्ज मामले | दोषसिद्धि दर % | दर्ज मामले | दोषसिद्धि दर % | दर्ज मामले | दोषसिद्धि दर % |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1948 | 10.0 | 2010 | 5.3 | 2315 | 4.0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 3. | असम | 28 | 0.0 | 13 | - | 14 | - |
| 4. | बिहार | 7368 | 21.8 | 5842 | 31.2 | 6509 | 43.1 |
| 5. | छतीसगढ | 316 | 47.9 | 330 | 18.5 | 323 | 77.4 |
| 6. | गोवा | 2 | - | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| 7. | गुजरात | 1326 | 4.4 | 1201 | 5.8 | 1279 | 4.4 |
| 8. | हरियाणा | 1210 | 12.5 | 1628 | 25.1 | 1633 | 19.3 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 247 | 4.0 | 243 | 5.9 | 209 | 8.5 |
| 10. | झारखंड | 666 | 29.8 | 546 | 53.8 | 674 | 19.6 |
| 11. | कर्नाटक | 1394 | 4.7 | 1673 | 1.6 | 1972 | 1.4 |
| 12. | केरल | 846 | 4.4 | 948 | 9.7 | 1050 | 9.2 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 6899 | 40.1 | 7213 | 28.0 | 7733 | 22.9 |
| 14. | महाराष्ट्र | 2569 | 11.8 | 2503 | 10.7 | 2741 | 8.9 |
| 15. | मणिपुर | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 16. | मेघालय | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 17. | मिजोरम | 0 | - | 0 | - | 5 | - |
| 18. | नागालैंड | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 19. | ओडिशा | 2046 | 3.7 | 2327 | 0.7 | 2902 | 16.1 |
| 20 | पंजाब | 165 | 16.7 | 200 | 25.0 | 162 | 27.5 |
| 21. | राजस्थान | 7017 | 48.7 | 7524 | 41.6 | 8752 | 39.5 |
| 22. | सिक्किम | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 50.0 |
| 23. | तमिलनाडु | 1273 | 25.2 | 1376 | 18.4 | 1761 | 21.1 |
| 24. | तेलंगाना | 1959 | 3.8 | 1770 | 8.2 | 1787 | 4.9 |
| 25. | त्रिपुरा | 2 | - | 3 | - | 2 | - |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 12714 | 70.7 | 13146 | 76.3 | 15368 | 80.2 |
| 27. | उत्तराखंड | 87 | - | 123 | 0.0 | 114 | 0.0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 109 | 0.0 | 108 | 0.0 | 104 | 0.0 |
| | **कुल राज्य** | 50191 | **42.5** | **50733** | **36.0** | **57420** | **34.1** |
| 29. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 30. | चंडीगढ़ | 3 | 100.0 | 0 | - | 4 | 0.0 |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव | 1 | - | 0 | - | 0 | 0.0 |
| 32. | दिल्ली | 69 | 0.0 | 136 | 0.0 | 130 | 0.0 |
| 33. | जम्मू और कश्मीर | 4 | - | 3 | - | 6 | - |
| 34. | लद्दाख | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - |
| 35. | लक्षद्वीप | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 36. | पुडुचेरी | 0 | - | 7 | - | 9 | - |
| | **कुल संघ राज्य-क्षेत्र** | **77** | **25.0** | **146** | **0.0** | **149** | **0.0** |
| | **कुल (अखिल भारत)** | **50268** | **42.5** | **50879** | **36.0** | **57569** | **34.1** |

**संलग्नक-2**

**वर्ष 2020 से 2022 तक अनुसूचित जनजातियों के लिए एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम (आईपीसी के साथ और आईपीसी के बिना) के तहत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार दर्ज मामले और दोषसिद्धि दर (सीवीआर)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र | वर्ष 2020 | | वर्ष 2021 | | वर्ष 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दर्ज मामले | दोषसिद्धि दर % | दर्ज मामले | दोषसिद्धि दर % | दर्ज मामले | दोषसिद्धि दर% |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 320 | 0.9 | 361 | 5.6 | 396 | 1.4 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
| 3. | असम | 10 | - | 16 | - | 9 | 100.0 |
| 4. | बिहार | 94 | - | 103 | 36.4 | 146 | 4.2 |
| 5. | छत्तीसगढ | 502 | 48.0 | 506 | 24.3 | 516 | 76.6 |
| 6. | गोवा | 2 | - | 5 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| 7. | गुजरात | 291 | 14.3 | 341 | 0.0 | 330 | 8.0 |
| 8. | हरियाणा | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 3 | - | 7 | - | 4 | - |
| 10. | झारखंड | 347 | 40.0 | 250 | 63.0 | 283 | 30.9 |
| 11. | कर्नाटक | 291 | 1.3 | 358 | 0.0 | 438 | 0.8 |
| 12. | केरल | 130 | 21.9 | 133 | 29.0 | 172 | 10.2 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 2401 | 35.9 | 2627 | 34.3 | 2979 | 35.9 |
| 14. | महाराष्ट्र | 663 | 12.5 | 628 | 11.8 | 742 | 12.1 |
| 15. | मणिपुर | 2 | - | 0 | - | 1 | - |
| 16. | मेघालय | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 17. | मिजोरम | 0 | - | 0 | 100.0 | 29 | 66.7 |
| 18. | नागालैंड | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 19. | ओडिशा | 624 | 0.0 | 676 | 0.0 | 773 | 19.6 |
| 20 | पंजाब | 4 | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 21. | राजस्थान | 1878 | 43.2 | 2121 | 45.1 | 2521 | 46.0 |
| 22. | सिक्किम | 0 | - | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| 23. | तमिलनाडु | 23 | - | 39 | - | 67 | 0.0 |
| 24. | तेलंगाना | 573 | 2.5 | 512 | 5.2 | 545 | 6.5 |
| 25. | त्रिपुरा | 2 | - | 0 | - | 3 | - |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 3 | 100.0 | 4 | - | 5 | - |
| 27. | उत्तराखंड | 13 | 100.0 | 6 | - | 1 | - |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 90 | 0.0 | 92 | 0.0 | 90 | 2.9 |
| | **कुल राज्य** | **8266** | **28.5** | **8787** | **28.2** | **10055** | **28.1** |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2 | - | 3 | 0.0 | 3 | - |
| 30. | चंडीगढ़ | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 31. | दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव | 0 | - | 3 | - | 5 | 0.0 |
| 32. | दिल्ली | 1 | - | 5 | - | 0 | - |
| 33. | जम्मू और कश्मीर | 0 | - | 1 | - | 1 | - |
| 34. | लद्दाख | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - |
| 35. | लक्षद्वीप | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
| 36. | पुदुचेरी | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | **कुल संघ राज्य-क्षेत्र** | **4** | **-** | **12** | **0.0** | **9** | **0.0** |
| | **कुल (अखिल भारत)** | **8270** | **28.5** | **8799** | **28.1** | **10064** | **28.1** |

******